

प्रकरण संख्या 87/2017

- ~~सोमलाल पिता पेमा गुर्जा निवासी- नरौली तं- बूडी~~  
बनाम ~~श्री~~
- 1) शकेश पिता लाइलाल जोस्तवाल निवासी- माण्डलगढ
  - 2) शकेश सिंह पिता रत्न सिंह जाति राजपुर नि: माण्डलगढ
  - 3) कालू लाल पिता बालू माकी निवासी- करणपुरा
  - 4) शिवराज पिता पेमा गुर्जा निवासी- नरौली
- प्रार्थनापत्र-अन्तर्गत धारा 111-128 रा0ले0रे0ए0

- आदेश :-

दिनांक- 16/5/17

प्रार्थनापत्र प्रार्थीश्री ~~सोमलाल पिता पेमा गुर्जा~~ ने जरिये अभिभाषक श्री ~~सावर मल देवादी~~ ने प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मेरे एकल/संयुक्त खाते की भूमि ग्राम ~~करणपुरा~~ तह0 माण्डलगढ में आराजीन0

~~432 रकबा 3 बीघा 01 बिस्वा~~  
किता 01 रकबा 3 बीघा 01 बिस्वा भूमि स्थित है। विपक्षीगण आये दिन सीमा विवाद को लेकर झगडा फिसाद करते है। अतःपत्थरगढी का आदेश प्रदान कराया जावे साथ में प्रार्थनापत्र की ताईद में शपथपत्र संलग्न है।

प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया, प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली में संलग्न जमाबंदी सम्वत् 2072-2075 के अवलोकन से प्रार्थी वादग्रस्त आराजीयात का खातेदार/गैरखातेदार काश्तकार है। पडौसियान के विवाद करने बाबत शपथपत्र संलग्न है। पत्थरगढी से किसी के स्वत्व पर कोई विपरीत प्रभाव नही पडता है।

अतः प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा0ले0रे0ए0क्ट स्वीकार किया जाकर ग्राम ~~करणपुरा~~ की आराजी न0 ~~432 रकबा 3 बीघा 01 बिस्वा~~

- 01 रकबा 3 बीघा 01 बिस्वा ~~करणपुरा~~ की बशामलात पडौसियान के पत्थरगढी किये जाने के आदश दिये जाते है। भू-अभिलेख निरीक्षक को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। कमीशनर फीस 150 /रुपये वक्त पत्थरगढी प्रार्थी मौके पर अदा करेगा। एवं पत्थरगढी की शुल्क राशि 100/रुपये राजकोष में जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार, माण्डलगढ को लिखा जावे।

प्रार्थनापत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हो।

आदेश सुनाया गया।

2  
उपखण्ड अधिकारी